तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) विनियम, 1979

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित पहला विनियम बनाते हैं , अर्थात् –

1 **लघु शीर्ष एवं प्रयोग :**

(i) ये विनियम , तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) विनियम, 1979 कहे जाएं।

(ii) ये, बोर्ड एवं तट श्रम स्थापना के सभी वर्ग के कर्मचारियों को लागू होंगे।

2 **परिभाषा :** इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो :–

(i) ''बोर्ड'' एवं ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन उनको सौंपा गया क्रमशः वही अर्थ होगा ;

(ii) ''श्रेणी I, II, III और IV सर्विस'' का तात्पर्य, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1979 में उनको सौंपा गया क्रमशः वही अर्थ होगा।

3 **सेवानिवृत्ति की आयु :** अन्यथा विशेष रूप से प्रबंध किए जाने के अलावा , बोर्ड के हरेक कर्मचारी को उनके द्वारा 58 की आयु प्राप्त होने के महीने की आखिरी तारीख के दिन को अप्राहन को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होना होगा।

ए) बशर्ते कि बोर्ड के कर्मचारी, जिनका जन्मदिन महीने की 1 तारीख है तो वे, पहले महीने की आखिरी तारीख पर, जब उनके द्वारा 58 की आयु प्राप्त होने, के दिन को अप्राहन को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होना होगा।

बी) बशर्ते कि बोर्ड के श्रेणी IV के कर्मचारी, जो इन विनियमों के प्रभावी होने से पूर्व सेवा में भर्ती हो चुके हैं, को, उनके द्वारा 60 की आयु प्राप्त होने के महीने की आखिरी तारीख के दिन को अप्राहन को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होना होगा।

सी) बशर्ते कि बोर्ड के श्रेणी IV के कर्मचारी, जो इन विनियमों के प्रभावी होने से पूर्व सेवा में भर्ती हो चुके हैं, और उनका जन्मदिन 1 तारीख है, तो वे पहले महीने की आखिरी तारीख पर, जब उनके द्वारा 60 की आयु प्राप्त होने, के दिन को अप्राहन को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होना होगा।

4 **सेवानिवृत्ति के बाद पुनःरोजगार :** बोर्ड के किसी भी कर्मचारी को, सेवानिवृत्ति की आयु के उपरान्त सेवा को बढाने की अनुमति होगी।

5 **अधिवार्षिता की आयु से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति :** इन विनियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, अध्यक्ष, अगर उनकी राय में, यह बोर्ड के हित के लिए है तो, किसी भी कर्मचारी को , किसी भी समय पर, लिखित रूप में तीन महीने से कम अवधि या इस तरह की नोटिस के बदले, तीन महीने का भुगतान एवं भत्ता देकर, किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार रखते हैं :

ए) अगर कर्मचारी ने निम्न आयु प्राप्त कर ली है :

(i) श्रेणी I व श्रेणी II सर्विस के कर्मचारी के मामले में 55 वर्ष, अगर वे, बोर्ड की सेवा में 35 की आयु से पहले प्रवेश हो जाते हैं।

(ii) अन्य मामलों में 55 वर्ष ; या

बी) अगर कर्मचारी ने निम्न आयु पूरी कर ली है :

(i) कर्मचारी के मामले में, 30 वर्ष की क्वॉलिफैइंग सर्विस, जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 द्वारा गवर्न किया गया और जिसे तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) विनियम, 1979 द्वारा अनुरूपण किया जा रहा है।

(ii) कर्मचारी के मामले में, 30 वर्ष की क्वॉलिफैइंग सर्विस, जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 द्वारा गवर्न नहीं किया गया और जिसे तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) विनियम, 1979 द्वारा अनुरूपण किया जा रहा है।

टिप्पणी : निर्धारित आयु/सर्विस से परे, सेवा में कर्मचारी को प्रतिधारण करने के निर्णय के लिए, जैसा मामला हो, बोर्ड के हित में होना होगा, और समय समय पर अध्यक्ष द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

6 **अधिवार्षिता की आयु से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति :** बोर्ड को कर्मचारी, लिखित रूप में तीन महीने से कम की अवधि नहीं पर , नोटिस देते हुए बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है :

ए) अगर कर्मचारी ने निम्न आयु प्राप्त कर ली है :

(i) श्रेणी I व श्रेणी II सर्विस के कर्मचारी के मामले में 55 वर्ष, अगर वे, बोर्ड की सेवा में 35 की आयु से पहले प्रवेश हो जाते हैं।

(ii) अन्य मामलों में 55 वर्ष ; या

बी) अगर कर्मचारी ने निम्न आयु पूरी कर ली है :

(i) कर्मचारी के मामले में, 20 वर्ष की क्वॉलिफैइंग सर्विस, जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 द्वारा गवर्न किया गया और जिसे तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) विनियम, 1979 द्वारा अनुरूपण किया जा रहा है।

(ii) कर्मचारी के मामले में, 20 वर्ष की क्वॉलिफैइंग सर्विस, जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 द्वारा गवर्न नहीं किया गया और जिसे तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) विनियम, 1979 द्वारा अनुरूपण किया जा रहा है।

(iii) कर्मचारी, जिसे एक वास्तविक क्षमता ने नियोजित नहीं किया गया है, के मामले में, 20 वर्ष की लगातार सर्विस ।

टिप्पणी : (i) यह अध्यक्ष पर निर्भर होगा कि वे, कर्मचारी जो निलंबिताधीन है और जो इस विनियम के तहत सेवानिवृत्त की मांग करता हो तो उसे, रोक सकते हैं।

(ii) उसके द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट सर्विस की संख्या पूरा करने से पहले या आयु प्राप्त करने से पहले, कर्मचारी को, ऊपर के विनियम 5 एवं 6 में संदर्भित 3 महीने की नोटिस दी जा सकती है।

बशर्ते कि वास्तविक सेवानिवृत्ति उसके द्वारा आयु प्राप्त करने के उपरान्त या निर्धारित वर्षों की संख्या में सेवा पूरा करता है, जैसा मामला हो, होता है।

(iii) विनियम 6 के उप खंड (i) एवं (iii) के अधीन कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करते समय, उसके द्वारा की गई वास्तविक अर्हता सर्विस के अतिरिक्त उसे 5 वर्ष तक का वेइटेज़ दिया जाएगा। 5 वर्ष तक का वेइटेज़ प्रदान करना, निम्नलिखित शर्तों पर होगा :

7 **पेन्शन प्रदान करने की शर्तें :** वेइटेज़ प्रदान करने के उपरान्त, कुल अर्हता सर्विस, किसी भी हाल में, 33 वर्ष की अर्हता सर्विस से ज्यादा नहीं होगी और ना ही उसके अधिवार्षिता की आयु की तारीख से परे होगी।

पाद टिप्पणी : तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्त) विनियम, 1979 को भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांकित 1 मार्च 1979 को सा0का0नि0 104 (असा0) में प्रकाशित किए गए थे और निम्न के जरिए बाद में संशोधित किए गए :

(i) सा0का0नि0 78 (असा0) , दिनांकित : 3 फरवरी, 1987

(ii) सा0का0नि0 328 (असा0) , दिनांकित : 7 मार्च, 1988

(iii) सा0का0नि0 549 (असा0) , दिनांकित : 10 जून, 1988

(iv) सा0का0नि0 279 (असा0) , दिनांकित : 29 मई, 1998

(v) सा0का0नि0 549 (असा0) , दिनांकित : 8 जून, 2000